उप निदेशक का कार्यालय
परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना,
विश्वेश्वरैया भवन परिसर, बेली रोड, पटना–800015

एन०आइ०क्यू० सं०–06 / 2016–17 दिनांकः–

कोटेशन आमंत्रण सूचना

परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रयोगशालाओं में जाँच कार्यों में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक रसायन ट्राइक्लोरोइथीलीन की आपूर्ति हेतु पंजीकृत उत्पादन इकाइयों / अधिकृत डीलर्स / आपूर्तिकर्ताओं से सीलबन्द कोटेशन दिनांक– 30.01.2017 के 3.00 बजे अपराह्न तक उप निदेशक का कार्यालय, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, सी०डी०ओ० बिल्डिंग, विश्वेश्वरैया भवन परिसर, बेली रोड, पटना–800015 में आमंत्रित किया जाता है, जो दिनांक– 30.01.2017 को ही 4.00 बजे अपराहन में खोला जायेगा। यदि उक्त तिथि को किसी कारणवश अवकाश घोषित हो जाये तो ठीक अगले कार्य दिवस के 3.00 बजे अपराह्न तक कोटशन दिया जा सकता है, जो उसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में खोला जायेगा।

कार्य (आपूर्त्ति) हेतु विवरणीः–

S.No.	Particulars	Qty.	Unit
1	Trichloroethylene	1500 (One thousand five hundred) litres	Packing of 25 litres

शर्तेः–

1. आपूर्त्ति किये जाने वाले ट्राईक्लोरोइथीलीन का उपयोग प्रयोगशालाओं में बिटुमिन / बिटुमिन मिक्स की जाँच कार्यों हेतु किया जाना है। व्यवसायिक उपयोग में प्रयुक्त होने वाले ट्राईक्लोरोइथीलीन की आपूर्त्ति नहीं ली जायेगी।
2. कोटेशन सीधे या डाक के माध्यम से सीलबन्द लिफाफे में दिये जा सकते हैं। लिफाफा के ऊपर कोटशन का नाम, खुलने की तिथि एवं समय अवश्य अंकित किये जायें।
3. सामग्री पटना अवस्थित परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्टोर तक पहुँचाना होगा।
4. कोटेड दर की कुल राशि का 2 (दो) प्रतिशत् अग्रधन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एवं कोटशन खोलने की तिथि से कम से कम 6 (छः) माह के लिये वैध फिक्सड् डिपोजिट रिसिप्ट जो Deputy Director, Testing and Research Institute, Road Construction Department, Patna के पक्ष में Pledged हो, कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदा में सफल आपूर्तिकर्ता आपूर्ति की जाने वाली आवश्यक रसायन Trichloroethylene के निविदित / निर्धारित दर की 20 (बीस) प्रतिशत् राशि की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक गारंटी जो Deputy Director, Testing and Research Institute, Road Construction Department, Patna के पक्ष में सामग्री की आपूर्ति की तिथि से कम से कम एक वर्ष के लिये वैध हो को एकरारनामा के समय जमा करना होगा। बैंक गारंटी जमा करने के बाद उनके द्वारा कोटेशन के साथ जमा किये गये 2 प्रतिशत अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी। एकरारनामा के उपरांत कार्यादेश निर्गत होगा।
6. सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
7. आवंटन उपलब्ध होने एवं सामग्रियो की गुणवत्ता स्थापित होने पर ही भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी।
8. सामग्रियों की आपूर्त्ति की मात्रा घट–बढ़ सकती है। सामग्रियों का दर वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए होगा। अंकित दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य दावा मान्य नहीं होगा।

कृ०पृ०उ०

9. पूरी मात्रा में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर पूरी जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

10. सशर्त्त कोटेशन मान्य नहीं होगा।

11. कोटेशन खोलने के समय कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

12. Trichloroethylene की आपूर्ति/क्रय हेतु कोटेशन देने के लिये प्रपत्र निम्न प्रकार हैं:–

क्रमांक (S.No.)	सामग्रियों का ब्यौरा (Particulars)	मात्रा (Qty.)	इकाई (Unit)	दर (Rate)	राशि (Amount)
1	2	3	4	5	6

VAT की निर्धारित राशि अलग से अवश्य अंकित की जाये।

13. प्रत्येक कोटेशनदाता को अद्यतन (A) वैट रजिस्ट्रेशन/सी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, (B) अद्यतन आयकर रिटर्न की छाया प्रति तथा (C) पैन कार्ड की छाया प्रति कोटशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर इन प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति सत्यापन हेतु कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

14. अधिकृत डीलर की स्थिति में कोटेशनदाता को आपूर्ति की जानेवाली आवश्यक रसायन Trichloroethylene के निर्माता कम्पनी द्वारा अधिकृत डीलर होने का प्रमाण–पत्र की छाया प्रति भी कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. प्रत्येक कोटेशनदाता जमा करने वाले सभी कागजातों पर अपना हस्ताक्षर कर ही जमा करेगें।

16. आवश्यक रसायन Trichloroethylene के लिये यह आवश्यक होगा कि निर्माण करने वाली कम्पनी ISO Certified हों तथा उनका पिछले तीन वर्षों का औसतन टर्न ओभर 5.00 करोड़ से कम नहीं हो।

17. प्राप्त किसी भी कोटेशन को पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

18. विशेष जानकारी के लिये किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय में पूर्व सूचना देकर सम्पर्क किया जा सकता है। अधोहस्ताक्षरी से मो० नं० 9470001358 पर या श्री शत्रुघ्न कुमार मिश्र, कनीय अभियंता के मो० नं० 9631610375 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह०/–
उप निदेशक,
परीक्षण एवं शोध संस्थान,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– परी० एवं शो० सं०:– 08/2015:– 02, पटना, दिनांक:– 09/01/2017,

प्रतिलिपि:– इस *NIQ* को पथ निर्माण विभाग, बिहार (R.C.D., Bihar) के वेवसाइट *www.rcd.bih.nic.in* पर अपलोड की कार्रवाई कराने हेतु अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को समर्पित।

9.1.17
उप निदेशक,
परीक्षण एवं शोध संस्थान,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
09.01.2017

Deepak/Ved./103